भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-9

उत्तर देने की तारीख-25/11/2024

विद्यालयों में कन्नड़ भाषा को बढ़ावा देना

†*9. डॉ. के. सुधाकर:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश भर के विद्यालयों के स्तर पर तथा उच्च शिक्षा के स्तर पर कन्नड़ भाषा को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) देश के विभिन्न राज्यों में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में कन्नड़ भाषा के अध्ययन के लिए नामांकित छात्रों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार की चिक्काबल्लापुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में नए नवोदय विद्यालय, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय खोलने की कोई योजना है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) चिक्काबल्लापुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के ऐसे बच्चों का ब्यौरा और संख्या क्या है जिन्हें सरकार की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत छात्रवृत्ति प्रदान की गई है; और

(च) क्या देश भर में स्वदेशी भाषाओं को बढ़ावा देने अथवा मातृभाषा में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कोई धनराशि आवंटित की गई है, यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा की गई पहल का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्री

(श्री धर्मेंद्र प्रधान)

(क) से (च): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

माननीय संसद सदस्य डॉ. के. सुधाकर द्वारा 'विद्यालयों में कन्नड़ भाषा को बढ़ावा देना' के संबंध में दिनांक 25.11.2024 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 9 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क): राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 में बहुभाषावाद को बढ़ावा देने और कन्नड़ सहित भारतीय भाषाओं को जीवंत बनाए रखने के प्रयासों पर बल दिया गया है। एनईपी 2020 के अध्याय 4 में, "भारतीय भाषाओं, कला और संस्कृति का संवर्धन" में स्कूली बच्चों में भाषा, कला और संस्कृति को बढ़ावा देने, बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए त्रि-भाषा फार्मूले को शीघ्र लागू करने; जहां भी संभव हो घरेलू/स्थानीय भाषा में शिक्षण; अनुभवात्मक भाषा शिक्षण आदि का संचालन करने हेतु कई पहलें की गई है।

एनईपी 2020 में इस बात पर बल दिया गया है कि जहां भी संभव हो, कम से कम कक्षा 5 तक, और अधिमानतः कक्षा 8 और उससे आगे तक, शिक्षा का माध्यम घरेलू भाषा/मातृभाषा/स्थानीय भाषा/क्षेत्रीय भाषा में होना चाहिए। इसके बाद, जहां तक संभव हो, घरेलू/स्थानीय भाषा को एक भाषा के रूप में पढ़ाया जाना जारी रहेगा। सार्वजनिक और निजी दोनों स्कूलों में इसका पालन किया जाएगा। विज्ञान सहित उच्च गुणवत्ता वाली पाठ्यपुस्तकें घरेलू भाषाओं/मातृभाषा में उपलब्ध कराई जाएंगी। यह सुनिश्चित करने के लिए शुरू से ही सभी प्रयास किए जाएंगे कि बच्चे द्वारा बोली जाने वाली भाषा और शिक्षण माध्यम के बीच मौजूद किसी भी अंतर को कम किया जा सके। ऐसे मामलों में जहां घरेलू भाषा/मातृभाषा में पाठ्यपुस्तक सामग्री उपलब्ध नहीं है, शिक्षकों और छात्रों के बीच बातचीत की भाषा अभी भी यथासंभव घरेलू भाषा/मातृभाषा ही रहेगी।

एनईपी 2020 की इस सिफारिश को ध्यान में रखते हुए, 79 भारतीय भाषा प्राइमर्स जारी किए गए हैं, जिनका उद्देश्य युवा शिक्षार्थियों और वयस्कों को अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम बनाना है, जिसमें कर्नाटक की कोडवा और तुलु भाषा भी शामिल है। इसके अलावा, कन्नड़ में प्राइमर तैयार है। इसके अतिरिक्त, निपुण भारत मिशन के तहत शिक्षण अधिगम सामग्री और शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच में सुधार हेतु राज्य विशिष्ट परियोजनाओं के लिए नवाचार शीर्ष जैसी पहलों के माध्यम से मातृभाषा/स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए समग्र शिक्षा योजना के तहत राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां प्रदान की जाती हैं। इसके अतिरिक्त, कर्नाटक को 5 पीएम ई-विद्या डीटीएच टीवी चैनल आवंटित किए गए हैं, जो कन्नड़/स्थानीय क्षेत्रीय भाषाओं में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा सामग्री प्रदान करते हैं।

इसके अतिरिक्त, स्कूल शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (एनसीएफएसई), 2023 सामाजिक भाषाई विविधता को ध्यान में रखते हुए बहुभाषावाद को बढ़ावा देने और स्थानीय भाषाओं में दक्षता पर बल देती है और दर्शाती है कि कैसे सामाजिक बहुभाषावाद में बच्चों को अपनी मातृभाषा/घरेलू भाषा/ स्थानीय भाषा में स्कूली शिक्षा शुरू करके बहुभाषी दक्षता विकसित करने में सक्षम बनाती है, जिससे वे आगे चलकर मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद सहित कई और भाषाओं को जोड़ सकते हैं।

एनईपी 2020 में यह भी परिकल्पना की गई है कि अधिकाधिक उच्च शिक्षण संस्थान (एचईआई) और उच्चतर शिक्षा में अधिकाधिक कार्यक्रम मातृभाषा/स्थानीय भाषा का उपयोग शिक्षण के माध्यम के रूप में करेंगे और/या द्विभाषी कार्यक्रम प्रदान करेंगे, ताकि पहुंच और जीईआर को बढ़ाया जा सके और कन्नड़ सहित सभी भारतीय भाषाओं के सामर्थ्य, उपयोगिता और जीवंतता को बढ़ावा दिया जा सके। इस नीति में भारतीय भाषाओं को शिक्षण के माध्यम/द्विभाषी कार्यक्रमों की पेशकश के रूप में प्रोत्साहित करने और प्रोत्साहन देने का प्रावधान है।

भारत सरकार ने वर्ष 2008 में कन्नड़ को शास्त्रीय भाषा घोषित किया है। मैसूर स्थित भारतीय भाषा संस्थान (सीआईआईएल) कन्नड़ भाषा सहित सभी भाषाओं के प्रचार-प्रसार के लिए कार्य करता है। दक्षिणी क्षेत्रीय भाषा केंद्र, मैसूर, सीआईआईएल स्कूली शिक्षकों को दूसरी भाषा के रूप में कन्नड़ में 10 माह का "भाषा शिक्षा में डिप्लोमा" प्रदान करता है। भारत सरकार ने सीआईआईएल के तहत शास्त्रीय कन्नड़ में अध्ययन के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की है। यह केंद्र शास्त्रीय कन्नड़ भाषा को बढ़ावा देता है, उसका प्रचार-प्रसार करता है और उसे संरक्षित करता है। केंद्र ने शास्त्रीय कन्नड़ भाषा को बढ़ावा देने के लिए हाई स्कूल के शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं।

डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग (दीक्षा) पोर्टल: दीक्षा (https://diksha.gov.in/) डिजिटल ऑनलाइन शिक्षा हेतु शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है, जिसमें कन्नड़ सहित 38 भारतीय भाषाओं में क्यूआर कोडित पाठ्यपुस्तकें और विशेष ई-सामग्री उपलब्ध है। राष्ट्रीय ई-पुस्तकालय एक निःशुल्क डिजिटल पुस्तकालय है और यह ज्ञान और कहानियों के राष्ट्रीय भंडार के रूप में कार्य करती है, जिसे विशेष रूप से भारत के युवाओं के लिए तैयार किया गया है। यह 40 से अधिक प्रतिष्ठित प्रकाशकों की 1,000 से अधिक गैर-शैक्षणिक पुस्तकों तक पहुंच प्रदान करती है, जो कन्नड़ सहित 22 से अधिक भाषाओं में उपलब्ध हैं।

इसके अतिरिक्त, जैसा कि कर्नाटक सरकार द्वारा सूचित किया गया है, कर्नाटक के राजकीय और निजी स्कूलों में सभी छात्रों को अपनी मातृभाषा या पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना, कन्नड़ को अनिवार्य विषय के रूप में, या तो अपनी प्रथम भाषा या द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ना आवश्यक है। यह आवश्यकता अन्य राज्यों और प्रवासियों के छात्रों पर भी लागू होती है। राज्य सरकार के स्कूलों में प्राथमिक शिक्षा के लिए कन्नड़ को शिक्षा का माध्यम बनाना अनिवार्य है। निजी स्कूलों को शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी या किसी अन्य भाषा के चयन की छूट है, लेकिन कन्नड़ को एक विषय के रूप में पढ़ाया जाना आवश्यक है।

(ख): यूडाइज़+ 2021-22 के अनुसार, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर कन्नड़ माध्यम में पढ़ाई करवाने वाले स्कूलों में नामांकित छात्रों की कुल राज्य-वार संख्या इस प्रकार है:

राज्य का नाम	माध्यमिक	वरिष्ठ माध्यमिक	कुल नामांकन
आंध्र प्रदेश	2757	0	2757
गोवा	196	0	196
कर्नाटक	1246870	656132	1903002
केरल	7069	6242	13311
महाराष्ट्र	5437	3795	9232
तमिलनाडु	1273	1491	2764
तेलंगाना	279	0	279

कर्नाटक राज्य सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार, कर्नाटक राज्य में माध्यमिक स्तर पर कन्नड़ के अध्ययन में नामांकित छात्रों का विवरण निम्नानुसार है:

प्रबंधन	छात्रों की कुल संख्या	प्रथम भाषा के रूप में कन्नड़	द्वितीय भाषा के रूप में कन्नड़	तृतीय भाषा के रूप में कन्नड़
शिक्षा विभाग	828917	827687	1093	137
निजी सहायता प्राप्त	543787	540633	879	2275
निजी गैर सहायता प्राप्त	145336	145011	203	122
अन्य	5463	5463	0	0
कुल	1523503	1518794	2175	2534

(ग) और (घ): नए **केंद्रीय विद्यालय (केवि)** खोलना एक सतत प्रक्रिया है। ये प्रस्ताव मौजूदा प्रक्रियाओं के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के अध्यधीन हैं। वर्तमान में, चिक्काबल्लापुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 4 केवि नामत: (i) केवि एएफएस येलहंका, (ii) केवि सीआरपीएफ येलहंका (iii) केवि आरडब्ल्यूएफ येलहंका और (iv) केवि गौरीबिदनूर कार्यात्मक हैं। चिक्काबल्लापुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में नया केवि खोलने के लिए कर्नाटक राज्य सरकार/जिला प्रशासन से अभी तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त, संसदीय क्षेत्र के आधार पर केवि नहीं खोले जाते हैं।

नवोदय विद्यालय योजना में देश के प्रत्येक जिले में एक जवाहर नवोदय विद्यालय खोलने की परिकल्पना की गई है। चिक्काबल्लापुर लोकसभा क्षेत्र के तहत 03 जिले नामत: चिक्काबल्लापुर, बेंगलुरु शहर और बेंगलुरु ग्रामीण आते हैं। इनमें से प्रत्येक जिले में एक जनवि कार्यात्मक है। इसलिए, इनमें से किसी भी जिले में नया/अतिरिक्त जनवि खोलना नवोदय विद्यालय योजना के अनुसार संभव नहीं है।

एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय: जनजातीय कार्य मंत्रालय ने कर्नाटक राज्य सहित देश भर में लगभग 3.5 लाख अनुसूचित जनजाति छात्रों को लाभ पहुंचाने के लिए कुल 728 ईएमआरएस स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। वर्तमान में, कर्नाटक में 12 ईएमआरएस हैं और सभी के कार्यात्मक होने की सूचना है। चिक्काबल्लापुर में नए ईएमआरएस की स्थापना का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ): केंद्रीय क्षेत्र योजना के अंतर्गत "राष्ट्रीय साधन-सह-योग्यता छात्रवृत्ति योजना (एनएमएमएसएस)"

कर्नाटक राज्य के लिए एनएमएमएसएस के तहत नई छात्रवृत्तियों का आवंटित कोटा 5534 प्रति वर्ष है। एनआईसी-एनएसपी द्वारा उपलब्ध कराए गए डेटा के अनुसार कर्नाटक के चिक्काबल्लापुर जिले के एनएमएमएसएस लाभार्थियों को वर्तमान वित्त वर्ष सहित विगत 05 वर्षों के दौरान जारी की गई नई और नवीनीकृत छात्रवृत्तियों की संख्या का विवरण इस प्रकार है:-

क्र. सं.	**वित्त वर्ष**	**छात्रवृत्तियों की संख्या (नई नवीनीकृत)**	**स्वीकृत राशि (लाख रुपए में)**
1.	2020-21	205	24,60,000 /-
2.	2021-22	191	22,92,000/-
3.	2022-23	199	23,88,000/-
4.	2023-24	186	22,32,000/-
5.	2024-25*	190	मंजूरी प्रक्रियाधीन

* वर्ष 2024-25 के लिए, एनएसपी 30.06.2024 से प्रभावी है और छात्रवृत्ति आवेदनों के पंजीकरण की अंतिम तिथि 15.11.2024 थी। एल 1 या लेवल एल 1 सत्यापन (संस्थान नोडल अधिकारी द्वारा) की अंतिम तिथि 30.11.2024 है और एल 2 या लेवल 2 सत्यापन की अंतिम तिथि (जिला नोडल अधिकारी या डीएनओ द्वारा) 15.12.2024 है। एनएसपी पर अंतिम रूप से सत्यापित किए गए आवेदनों को पूर्ववर्ती शैक्षणिक वर्ष के लिए एक परियोजना वर्ष में छात्रवृत्ति की मंजूरी के लिए विचार किया जाएगा।

(च): भारतीय भाषा संस्थान (सीआईआईएल) के तहत भारतवाणी परियोजना को कन्नड़ भाषा सहित 121 भाषाओं (22 अनुसूचित भाषाएं और 99 गैर-अनुसूचित भाषाएं) में ज्ञान संसाधनों को साझा करने के लिए समर्पित किया गया है। इस परियोजना का उद्देश्य वेब प्लेटफॉर्म और मोबाइल ऐप में लिप्यंतरण सहित विभिन्न संसाधनों और उपकरणों के माध्यम से स्वदेशी भाषाओं में और उनके बारे में सीखने को बढ़ावा देना है। सीआईआईएल, मैसूर को वर्तमान वर्ष सहित विगत 04 वर्षों के लिए निम्नलिखित अनुदान आवंटित किए गए हैं जिनमें भारतवाणी परियोजना भी शामिल है। इनका विवरण इस प्रकार है:

क्र. सं.	**वित्तीय वर्ष**	**अनुदान (करोड़ में)**
1.	2021-22	57.88
2.	2022-23	60.00
3.	2023-24	61.37
4.	2024-25	42.07

****